



विद्ववान् अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रस्तुत नजीर देवीलाल उर्फ देवशंकर व अन्य बनाम कमला शंकर की प्रति पेश की जिसका अवलोकन किया गया, पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य, दस्तावेजात का मनन किया गया और न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचा है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण ने विक्रेता के हिस्से को जरिये विक्रय विलेख खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है, तथा नामान्तरकरण भी दर्ज राजस्व रेकॉर्ड हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य इस प्रकरण के तथ्य से भिन्न होने से लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

( डॉ. वार सिंह )

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक-28-06-2019 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ. वार सिंह )

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

